नि0 5434/2018/सतना/...

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0 प्र0)

(33)

1. मुनीरूद्दीन मंसूरी तनय सहादत मंसूरी उम्र 65 वर्ष, पेशा व्यापार,

2. जमाम्मुद्दीन तनय मुनीरूद्दीन मंसूरी उम्र 37 वर्ष, ड्राइवरी

दोनों निवासी मंसूरी मस्जिद के पास वार्ड क्रमांक 13 नागौद, जिला सतना म0प्र0 हाल पता– सतना वैरियल के पीछे चर्मसौधा विभाग के पास नागौद तह0 नागौद, जिला सतना (म0प्र0) .... निगरानीकर्तागण

बनाम

श्रीमती रामेश्वरी सिंह पत्नी सभाराज सिंह उम्र 50 वर्ष, निवासी इन्द्रानगर वार्ड क्रमांक–1 सिंहपुर नाका के पास नागौद, जिला सतना (म0प्र0) .... गैर निगरानीकर्ता

यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सम्भाग रीवा के प्र0 क्र0 059/अपील/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 28.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0सं0

अधि0 श्री ... द्वारा पेश / 05-9-18

मान्यवर,

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैः–

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि आराजी नं0 342 मे निगरानीकर्ता का अवैध कब्जा हटाया जाये जिस पर तसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक0 28/ अ–70/13–14 पंजीबद्ध कर प्रकरण मे बिना साक्ष्य लिये केवल पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 10.03. 2017 को आदेश पारित कर गैर निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2016–17 प्रस्तुत किया था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने अपील मे उठाये गये तथ्यों का निराकरण नहीं किया तथा दिनांक 17.7.2018 को अपील निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ

(33)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5434/2018/सतना/भू–रा0 जिला– सतना

मुनीरूद्दीन मंसूरी/ श्रीमती रामेश्वरी सिंह

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री जयशंकर मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 059/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत